



ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(12): 102-105
www.allresearchjournal.com
Received: 16-10-2019
Accepted: 18-11-2019

डॉ. पिकी कुमारी

मो.—रहमगंज कोल डिपो,
पो.—लालबाग, जिला—दरभंगा,
बिहार, भारत

श्री सत्यनारायण सहनी

मो.—रहमगंज कोल डिपो,
पो.—लालबाग, जिला—दरभंगा,
बिहार, भारत

भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के साथ लैंगिक असमानता: एक अध्ययन

डॉ. पिकी कुमारी, श्री सत्यनारायण सहनी

सार

भारत की कुल श्रम शक्ति का 86 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यशील है। जिसमें महिला श्रम की भागीदारी 65 प्रतिशत है। महिला श्रमिक कृषि, निर्माण कार्य, गृह उद्योग, कालीन बुनाई, जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है। इन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संरक्षण से दूर है एवं शोषण का शिकार है। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है लेकिन ग्रामीण एवं खासतौर पर असंगठित क्षेत्रों में इसका पालन नहीं होता है इन क्षेत्रों में मजबूर महिलाएं सस्ती श्रमिक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर श्रम प्रतिस्पर्धा में महिला भागीदारी 25.51 प्रतिशत है जो शहरी क्षेत्रों में 15.44 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 30.2 प्रतिशत है। इसके बावजूद भी महिलाएं आर्थिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव का शिकार है उन्हें पुरुषों के समान कार्य करने पर भी उनके समान वेतन नहीं दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला दैनिक मजदूरी 201/- रुपये है जबकि पुरुषों की 322/- रुपये है वहीं शहरी क्षेत्रों में महिला मजदूरी 366/- रुपये एवं पुरुषों की 469 रुपये हैं। महिलाओं को समान कार्य करने के बावजूद भी पुरुषों की अपेक्षा 30 से 40 प्रतिशत कम भुगतान किया जाता है। देश में महिला कर्मचारी को पुरुष की तुलना में औसतन 62 प्रतिशत वेतन मजदूरी कम प्राप्त होती है। संविधान के द्वारा महिलाओं के संदर्भ में भेदभाव की समाप्ति एवं समान अधिकार की बात कही गई है। लेकिन धरातल पर यह दिखाई नहीं देता है। चाहे घरेलू महिला हो या कामकामजी महिला दोनों ही आर्थिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव का शिकार है जिसके पीछे मुख्य कारण रूढ़िवादी पारम्परिक सोच, पुरुष प्रधान समाज, लिंग आधारित शैक्षणिक असमानता, रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली का अभाव। असंगठित क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन, अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, गरीबी, सवैधानिक प्रावधानों का निष्क्रिय क्रियान्वयन प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। यदि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया जाये एवं उनके विरुद्ध हो रहे आर्थिक भेदभाव को समाप्त कर दिया जाये तो भारत की जी.डी.पी. में 8 प्रतिशत तक का उछाल सम्भव है। महिलाओं को शिक्षित करने, उनके विरुद्ध रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन लाकर, असंगठित क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं को समाप्त कर एवं विधियों का प्रभावी क्रियान्वयन कर हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्रविकास के लिए परम आवश्यक है।

कुटशब्द: असंगठित, कार्यशील, महिला, श्रमिक, असमानता एवं सशक्तिकरण

प्रस्तावना

यदि हम विधिवत रूप से नारी सशक्तिकरण का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें अपना अध्ययन जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को अपने आधीन करने वाली जटिल संरचना से करना होगा और यह जटिल संरचना पुरुषवाद या पितृसत्ता है। यह परम्परागत संरचना विश्व के लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में चली आ रही है। पुरुषवाद या पितृ सत्ता जिसके जरिये अब संस्थाओं के एक खास समूहों को पहचाना जाता है, जिन्हें सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है इसी को लिंगभेद कहते हैं। यह एक विश्वव्यापी ज्वलंत समस्या है जो समाज का एक कुरूप चेहरा सामने लाती है। लिंगभेद महिलाओं के सामाजिक न्याय एवं समानता के मार्ग में बाधक है। पुरुष सामान्यतः स्त्रियों का शोषण और उत्पीड़न करते हैं। पितृ सत्ता की मान्यता है कि पुरुष का अधिकार और कार्य आदेश देना तथा स्त्री का कर्तव्य है उस आदेश का पालन करना। पितृ सत्ता की एक मान्यता है कि स्त्री का कार्यक्षेत्र घर परिवार, बच्चे पैदा करना, उनका लालन—पालन करना और पारिवारिकसदस्यों की देखभाल करना है बांकी सभी क्षेत्र पुरुषों के लिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता केवल पुरुषों में है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रहता है और महिलाएं इनसे वंचित रहती हैं। पुरुष प्रधान सोच इस बात पर आधारित है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है।

Correspondence Author:

डॉ. पिकी कुमारी

मो.—रहमगंज कोल डिपो,
पो.—लालबाग, जिला—दरभंगा,
बिहार, भारत

नारी पर पुरुष का नियंत्रण है और होना चाहिए और महिलाओं को पुरुषों की सम्पत्ति के रूप में समझा जाता है, अतः स्पष्टतः यहां लिंगभेद से एक मात्र तात्पर्य महिला विभेद है। क्योंकि लैंगिक विभेद से यदि कोई पीड़ित है तो वह एक मात्र प्राणी है महिला। लिंग भेद का अभिप्राय जैवकीय आधार पर विभेद से नहीं है बल्कि लैंगिक भेदभाव से तात्पर्य महिलाओं के साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर होने वाले भेदभाव से है। जब इन स्तरों पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में असमानता एवं उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है तब यह लैंगिक आधार पर किया गया भेदभाव कहलाता है।

शताब्दियों से बालिकायें, किशोरियों, युवतियाँ, प्रौढ़ाएँ, वृद्धायें केवल इस आधार पर भेदभाव का शिकार होती आई है क्योंकि वे स्त्री हैं। प्रत्येक समाज देश, काल, गांव-शहर, घर-परिवार, स्कूल-कॉलेज, मंदिर-मस्जिद में ऐसा होता है और हो रहा है। यह कटु सत्य है कि एक महिला माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु शय्या तक लिंग आधारित भेदभाव की शिकार है। गर्भ परीक्षण में गर्भस्थ शिशु लड़की होने पर उसका गर्भपात करा दिया जाता है। गर्भवती माँ की यथोचित देखभाल नहीं की जाती, जीवित पैदा होने पर उसकी हत्या करने के मामले सामने आते हैं। पुत्री जन्म पर किसी प्रकार का समारोह आदि आयोजित नहीं किया जाता है। लड़कियों के जन्मदिन नहीं मनाये जाते हैं। अपर्याप्त सुख सुविधाओं में उनका लालन-पालन किया जाता है। लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान व उनकी उपेक्षा की जाती है। किशोरावस्था में उन्हें अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जाता है। उन्हें अपनी पसंद का खेल खेलने से रोका जाता है उनके घर के बाहर जाने पर पावदियों होती हैं। शारीरिक रूप से परिपक्व हुये बिना ही उनके विवाह कर दिये जाते हैं। लड़कियों को अपनी पसंद का वर चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। सभी प्रकार से योग्य होते हुये भी उनके विवाह में देहेज देना पड़ता है। समाज में विधवा पुनर्विवाह का अभाव है। उन्हें पति व पिता की सम्पत्ति से वंचित किया जाता है। घर के निर्णयों में उन्हें सहभागी नहीं बनाया जाता है। विवाह के बाद उन्हें रोजगार छोड़ने के लिये विवश किया जाता है। पति की आज्ञापालन न करने पर उन्हें हिंसा एवं उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। वृद्धावस्था में उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। ये महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव हैं जिनका आधार सिर्फ और सिर्फ उनका स्त्री होना है।

शिक्षा वह हथियार है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाले भेदभाव का डटकर सामना कर सकती हैं। शिक्षा महिलाओं को यह बताती है कि उसके क्या अधिकार हैं। शिक्षा महिलाओं को उसके जीवन में आने वाले हर भेदभाव से लड़ने के लिए सशक्त करती है। यह महिलाओं में उत्तरदायित्व उठाने एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। यह उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है एवं राष्ट्र विकास में सहभागी। यदि महिला शिक्षित होगी तो वह घर परिवार की जिम्मेदारियों में बराबर का सहयोग प्रदान कर सकती है लेकिन शायद पुरुष प्रधान सोच को यह स्वीकार नहीं है। इसलिए 6 दशकों से महिला साक्षरता पुरुषों की तुलना में न्यून रही है। वर्तमान समय में 82 प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा केवल 65 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं। यही नहीं उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 44.2 प्रतिशत है जबकि पुरुषों का नामांकन 55.7 प्रतिशत है। देश में 6 से 11 साल उम्र के करीबन 12 करोड़ 50 लाख बच्चे हैं उनमें स्कूल न जाने वाले लड़कों का अनुपात जहाँ 14 फीसदी है वहीं लड़कियों का अनुपात 18 फीसदी है। भारत में 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जा पाते इसमें 1.5 करोड़ लड़कियाँ हैं। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा अनुपात लड़कियों का ही है। यह अनुपात 64 फीसदी है। 25 वर्ष के ऊपर की केवल 26.6 प्रतिशत लड़कियाँ हायर सैकेण्ड्री पास है जबकि लड़के 50.4

प्रतिशत। यह स्थिति तब है जब भारत में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक भेदभाव एवं असमानता एक ज्वलंत समस्या है। विश्व जनसंख्या में लगभग आधे की भागीदार महिला आबादी आज भी आर्थिक रूप से उपेक्षित है। विश्व में किये जाने वाले कुल कार्यों में महिला श्रम की भागीदार 66 प्रतिशत है। विश्व के कुल 50 प्रतिशत खाद्य उत्पाद, उनके द्वारा बनाये जाते हैं लेकिन विश्व आय में उसकी भागीदारी मात्र 10 प्रतिशत है एवं विश्व की कुल सम्पत्ति में से केवल 1 प्रतिशत ही उनके हिस्से में है।

महिलाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद उनका आर्थिक पिछड़ापन लैंगिक भेदभाव का प्रतीक है। भारत में यह स्थिति और भी चिंताजनक है। भारतीय महिलायें जीवन के हर क्षेत्र में अपनी छोटी बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पुरुषों पर निर्भर है जिसके पीछे वह रूढ़ीवादी पारम्परिक सोच है। जिसके तहत महिला का कार्य केवल घर की देखभाल करना एवं बच्चों का लालन पालन करना है। यही बजह है कि ज्यादातर भारतीय परिवारों में उनके शिक्षा एवं रोजगार को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। घर में बच्चों की तुलना में बच्चियों के साथ किया जाने वाले यहीं लिंग आधारित भेदभाव उनकी आर्थिक पराधीनता की पृष्ठ भूमि तैयार करता है जो उसके सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करता है।

आर्थिक पराधीनता उनमें निर्णय लेने की क्षमता का ह्रास करती है एवं उन्हें अधिकार विहीन बनाती है। परिणामस्वरूप उसे जीवन में विविध अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। पुरुष प्रधान सोच एवं शिक्षा प्रदान करने में किया जाने वाला लैंगिक भेदभाव उनके रोजगार के अवसरों को बाधित करता है यहीं कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत न्यून है। संगठित क्षेत्र में कुल 20.5 प्रतिशत महिलाकर्मि कार्यरत हैं इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में 18.1 प्रतिशत महिलाकर्मि एवं निजी क्षेत्र में 24.3 प्रतिशत महिलाकर्मि कार्यरत है। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक एस.बी.आई में कुल 2,22,033 कर्मचारियों में महिला कर्मचारी महज 45,132 हैं जो कुल संख्या का 20 प्रतिशत है। देश के सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़े उपक्रम रेलवे में कुल कर्मचारियों की संख्या 13,28,199 है जिसमें महिला कर्मचारी मात्र 84,931 है यानि 6.39 प्रतिशत। देश में कुल पुलिस महिला कर्मियों की संख्या मात्र 6.11 प्रतिशत है। भारतीय थल सेना के कुल अफसरों में महिला अफसरों की संख्या मात्र 4 प्रतिशत है। भारत में वरिष्ठ पदों पर केवल 5 प्रतिशत महिलाएं आसीन हैं जबकि वैश्विक स्तर पर यह प्रतिशत 20 प्रतिशत है। भारत की कुल श्रम शक्ति का 86 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यशील है। जिसमें महिला श्रम की भागीदारी 65 प्रतिशत है। महिला श्रमिक कृषि, निर्माण कार्य, गृह उद्योग, कालीन बुनाई, जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है। इन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संरक्षण से दूर है एवं शोषण का शिकार है। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है लेकिन ग्रामीण एवं खासतौर पर असंगठित क्षेत्रों में इसका पालन नहीं होता है इन क्षेत्रों में मजबूर महिलाएं सस्ती श्रमिक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर श्रम प्रतिस्पर्धा में महिला भागीदारी 25.51 प्रतिशत है जो शहरी क्षेत्रों में 15.44 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 30.2 प्रतिशत है। इसके बावजूद भी महिलाएं आर्थिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव का शिकार है उन्हें पुरुषों के समान कार्य करने पर भी उनके समान वेतन नहीं दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला दैनिक मजदूरी 201/- रुपये है जबकि पुरुषों की 322/- रुपये है वहीं शहरी क्षेत्रों में महिला मजदूरी 366/- रुपये एवं पुरुषों की 469 रुपये हैं। महिलाओं को समान कार्य करने के बावजूद भी पुरुषों की अपेक्षा 30 से 40 प्रतिशत कम भुगतान किया जाता है। देश में महिला कर्मचारी को पुरुष की तुलना में औसतन 62 प्रतिशत वेतन मजदूरी कम प्राप्त

होती है। संविधान के द्वारा महिलाओं के संदर्भ में भेदभाव की समाप्ति एवं समान अधिकार की बात कही गई है। लेकिन धरातल पर यह दिखाई नहीं देता है।

देश में 16 करोड़ महिलाओं का मुख्य कार्य घर की जिम्मेदारियाँ सम्भालना है। सामाजिक परम्पराओं में जकड़ी ये महिलाएँ गृह कार्य को अपना कर्तव्य समझती हैं ये वे श्रमिक हैं जो कभी हड़ताल नहीं करते। कल्पना कीजिए कि यदि इनकी हड़ताल हो तो क्या होगा। घर में खाना नहीं बनेगा, सफाई नहीं होगी, बच्चों की देखभाल नहीं होगी, कपड़े नहीं धुलेंगे, मेहमान नवाजी नहीं होगी तब भी उनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका की उपेक्षा करने का मतलब है घरेलू श्रम की उपेक्षा और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक न्याय के हकों का सुनियोजित उल्लंघन। यदि देश में गृह कार्य करने वाली 15.99 करोड़ महिलाओं के सालभर के श्रम का मूल्यांकन किया जाये तो यह लगभग 16.286 अरब रुपये होगा। श्रम की परिभाषा मानवीय मूल्यों पर आधारित नहीं है यदि होती तो निसंदेह स्त्री के योगदान को पहचान मिलती और उसका मूल्यांकन भी होता। सवाल यह है कि घरेलू कार्य के आर्थिक रूप से अनुत्पादक काम की श्रेणी में क्यों रखा जाता है?

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा के क्रम में विभिन्न आचार्यों द्वारा लिखित पुस्तकों का अवलोकन किया गया है जिसमें :

देशपाण्डेय, सुधा (1996) के अध्ययन के अनुसार असंगठित क्षेत्र की महिलाएँ अपने आप को हमेशा कमजोर एवं असुरक्षित महशूस करती हैं। काम के घंटे एवं मजदूरी में भी भेदभाव का शिकार होती हैं।

जीमोल, उन्नी (2001) ने अपने अध्ययन में पाया कि दक्षिण एशिया में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की स्थिति दयनीय ही बनी हुई है। उनकी दशा पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही दयनीय है। मजदूरी में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

रोहिणी हेन्स मेन (2001) के अध्ययन के अनुसार वैश्विककरण के युग में भी असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाएँ विभिन्न तरह की उपेक्षाओं का शिकार बनी रहती हैं। शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के साथ-साथ मजदूरी में भी भेदभाव की शिकार होती है।

पाटिल डी एवं भदोरिया एस0एस0 (2002) ने अपने अध्ययन में पाया कि बिहार में दिल्ली में असंगठित क्षेत्र में विशेषकर निर्माण उद्योग में कार्यरत महिलाएँ मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ना की शिकार होती हैं और उन्हें मजदूरी भी कम मिलता है जिसके कारण वे अभी भी मेहनत के बावजूद भी आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं।

बीबी (2014) ने अपने अध्ययन में पाया कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत दक्ष महिला भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती हैं और पारिश्रमिक कम पाती हैं।

चित्रा (2015) ने अपने अध्ययन में पाया कि तिरुचिल्लापल्ली जिला में निर्माण उद्योग में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। वे कई तरह के प्रताड़नाओं का शिकार होती रहती हैं।

उपरोक्त अध्ययनों में भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के साथ लैंगिक असमानता से संबंधित तथ्यों का अवलोकन किया गया है किन्तु लैंगिक असमानता का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर अभी तक कोई कारगर अध्ययन संपादित नहीं हो सका है। अतः यह शोध समाजविज्ञानियों के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक स्थिति के अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है :-

- इस अध्ययन के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के सामाजिक आयामों का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है।
- वर्तमान अध्ययन के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण एवं समीक्षात्मक अन्वेषण किया गया है।

अध्ययन पद्धति

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक स्थिति के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्र-पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

निष्कर्ष

हमें इसे स्वीकार करना होगा ताकि एक कामगार के रूप में उनके स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा सहित राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित करने की पहल की जा सके। भारतीय समाज के मनीषियों ने परिवार के कुशल संचालन के लिए महिला एवं पुरुषों के कार्यक्षेत्रों का निर्धारण किया था ताकि गृहस्थी रूपी रथ संतुलन बनाते हुए जीवनपथ पर अग्रसर हो सके। यहां कोई भी न तो एक दूसरे से श्रेष्ठ था और ना ही निकृष्ट। लेकिन कालांतर में यह सोच कुरीति में परिवर्तित हो गई और महिलाओं को ऐसा श्रमिक समझा जाने लगा कि जो कार्य तो करें लेकिन अधिकारों की मांग नहीं। चाहे घरेलू महिला हो या कामकामजी महिला दोनों ही आर्थिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव का शिकार हैं जिसके पीछे मुख्य कारण रूढ़िवादी पारम्परिक सोच, पुरुष प्रधान समाज, लिंग आधारित शैक्षणिक असमानता, रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली का अभाव। असंगठित क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन, अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, गरीबी, सवैधानिक प्रावधानों का निष्क्रिय क्रियान्वयन प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। यदि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया जाये एवं उनके विरुद्ध हो रहे आर्थिक भेदभाव को समाप्त कर दिया जाये तो भारत की जी.डी.पी. में 8 प्रतिशत तक का उछाल सम्भव है। महिलाओं को शिक्षित करने, उनके विरुद्ध रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन लाकर, असंगठित क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं को समाप्त कर एवं विधियों का प्रभावी क्रियान्वयन कर हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्रविकास के लिए परम आवश्यक है।

संदर्भ

1. पाटिल अशोक डी एवं भदोरिया एस.एस, भारतीय समाज तृतीय संस्करण, प्रकाशन हिन्दी ग्रंथ आकदमी, नई दिल्ली, 2002, पृ0.32-33।
2. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डी.डी., समाजशास्त्र, प्रथम संस्करण, प्रकाशन साहित्य भवन, आगरा, 2009, पृ0 117।
3. पाण्डेय गिरीशचन्द्र, महिला आरक्षण विधेयक तथ्य और चुनौतियाँ,, उपकार प्रकाशन, आगरा, 2010, पृ0 502।
4. Bhalla N, Rise in India Female foeticide may spark crisis, Reuters, U.K. 2007, 3
5. Jeemol Unni, Gender and Informality in Labour Market in South Asia, Economic and Political Weekly, 2001; 36(26):2360-2367.

6. Deshpande, Sudha. Changing Structure of Employment in India, *The Indian Journal of Labour Economics*, 1996, 39(4).
7. Rohini Hensman, Globalisation, Informalisation. *Economic and Political Weekly*, Bombay, 2001, 36(13).
8. Chitra N., A Descriptive Study on Problems of Women Workers in Construction Industry at Tiruchirappalli, *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*. 2015; 5:46-52.
9. Fathima Adeela Beevi TKS. Problems And Prospects Of The Unorganised Sector In Kerala: Reference To Sales Women In Textiles, *Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management*. 2014; 3(9):35-39.